न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीम का थाना

न्यायालय बइजलास अनिल कुमार (आर.ए.एस) अति० जिला कलक्टर, नीम का थाना
पीठासीन अधिकारी का नाम– अनिल कुमार (आर.ए.एस)
निगरानी संख्या:– 22 / 2023

उनवान

1. मनोहर सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह,
2. शैवेन्द्र सिंह पुत्र स्व. संग्राम सिंह,
3. उदय सिंह पुत्र स्व. संग्राम सिंह,
4. ओमकंवर पुत्री स्व. संग्राम सिंह,
5. निरंजन सिंह पुत्र स्व. संग्राम सिंह,
6. धर्मेन्द्र सिंह पुत्र स्व. संग्राम सिंह,
7. लोकेन्द्र सिंह पुत्र स्व. संग्राम सिंह,
8. विरेन्द्र सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह,
9. महेन्द्र सिंह पुत्र रघुनाथ सिंह,
10. भंवर कंवर पुत्री रघुनाथ सिंह,
11. मदन कंवर पुत्री रघुनाथ सिंह,

समस्त जाति राजपूत निवासीगण मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर हाल जिला नीम का थाना

———अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला नीम का थाना।

————गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थितः– श्री राजेन्द्र सिंह तंवर अधिवक्ता

———अपीलान्ट

निर्णय दिनांकः– 27.08.2024

संक्षेप्त में अपील अपीलान्ट इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त विरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण उनवानी हीरसिंह बनाम संग्राम सिंह आदि मुकदमा नम्बर 22 / 2006 बी टी नम्बर 23 / 2009 दावा बावत् उद्‌घोषणा, वसीयत निरस्तीकरण एवं स्थाई निषेधज्ञा को दिनांक 17.03.2015 को पक्षकारों द्वारा किये गये राजीनामा से डिग्री किया गया था व तहसीलदार श्रीमाधोपुर को डिग्री कि पालना के लिए आदेश दिया गया था। पटवारी हल्का फुटाला व पटवारी हल्का मुण्डरू को नामान्तकरण दर्ज कर पेश करने का आदेश दिया गया। आदेश कि पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1814 व 1168 और पटवारी हल्का मुण्डरू के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2085 दर्ज किया गया। उपर्युक्त तीनों नामान्तरकरणों कि भू–अभिलेख निरीक्षक मुण्डरू के द्वारा जाँच की गई व इस प्रकार रिपोर्ट कि गई कि माननीय न्यायालय अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्रीमाधोपुर के निर्णय मुताबिक अंकन सही है। उक्त भूमि में वसीयत, विरासत, बेचान, सहमति बटवारा आदि किस आधार पर किया गया है, स्पष्ट नहीं है। उक्त भूमि के अदला–बदली में रूपयों का लेन–देन भी हुआ है। जिसमें राजकोष में पंजीयन शुल्क का नुकसान स्पष्ट होता है अतः नामान्तकरण खारिज योग्य है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1814 पर दिनांक 22.02.2019 को यह दर्ज करते हुये रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक के आधार पर नामान्तकरण खारिज किया जाता है। इसी प्रकार नामान्तकरण संख्या 1168 दिनांक 12.02.2019, नामन्तकरण संख्या 2085 दिनांक 29.01.2019 को खारिज करके न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्रीमाधोपुर के आदेश कि अवहेलना कि गयी है। भू–अभिलेख निरीक्षक मुण्डरू के द्वारा तीनों नामान्तकरणों पर गलत रिपोर्ट का अंकन किया गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नामान्तकरण संख्या 1814, 1168 व 2085 को खारिज करने के आदेश में सिद्धान्तों व प्रक्रिया का कतई पालन नहीं किया गया इस कारण कानून के विपरीत होने से निरस्त होने

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

Scanned with OKEN Scanner

योग्य है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील को गुणावगुण (मेरिट) पर निर्णित किये जाने की कृपा करें।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर उक्त नामान्तकरण संख्या 1814, 1168 व 2085 के बाबत् रेस्पो. संख्या 01 के आदेश दिनांक 12.02.2019 व 29.01.2019 को निरस्त फरमाया जाकर रेस्पो. संख्या 01 तहसीलदार श्रीमाधोपुर को ओदश फरमाया जावे की न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्रीमाधोपुर के डिग्री/आदेश दिनांक 17.03.2015 कि पालना में नामान्तकरण दर्ज कर तस्दीक करें व राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

अपील अपीलान्ट पेश होने पर अपील अपीलान्ट दर्ज कि गई एवं जरिये नोटिस रेस्पो. को तलब किया गया। रेस्पो. बावजूद तामिल अनुपस्थित। तरतीबी रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के रूप में दर्ज किया गया। वकील अपीलान्ट ने दस्तावेज कि सूची के साथ एक दस्तावेज पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया जिसके पश्चात बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई।

वकील अपीलान्ट ने बताया कि न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्रीमाधोपुर ने पक्षकारान के पूर्वजों के मध्य एक विचाराधीन बाबत् वसीयत निरस्तीकरण एवं स्थाई निषेधज्ञा का चला था जिसमें पक्षकारान के आपस में राजीनामा हुआ था जो न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जाकर मुताबिक राजीनामा दावा दिनांक 17.03.2015 को डिग्री किया गया था। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जारी कि गई थी परन्तु तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा मुताबिक निर्णय के व आदेश की पालना न कि जाकर नामान्तकरण खारिज कर दिया अतः अपील स्वीकार कि जावे एवं न्यायालय द्वारा पारित आदेश कि पालना कराई जावे।

वकील अपीलान्ट कि बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड तथा अपीलाधीन नामान्तकरण का गहनता से अवलोकन किया गया। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्रीमाधोपुर के निर्णय दिनांक 17.03.2015 की पालना में भरे गये है। जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भू–अभिलेख निरीक्षक कि रिपोर्ट/नोट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नामान्तकरण खारिज किये गये है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्रीमाधोपुर के निर्णय 17.03.2015 का सही परिक्षण नहीं किया गया है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा कि गयी रिपोर्ट का परीक्षण करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा कोई पत्रावली संधारित नहीं कि गई, ना ही कोई मार्गदर्शन मांगा गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर का उक्त आदेश जल्दबाजी में किया जाना प्रतीत होता है। जो विधि विरूद्ध व न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। मेरी विन्रम राय में प्रकरण के सभी तथ्यों को देखते हुये तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पुनः निरीक्षण कर निर्णय पारित करना उचित होगा।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार कि जाती है। नामान्तकरण संख्या 1168, आदेश दिनांक 12.02.2019, नामान्तकरण संख्या 1814, आदेश दिनांक 22.02.2019 व नामान्तकरण संख्या 2085 आदेश दिनांक 29.01.2019 को पारित आदेश तहसीलदार श्रीमाधोपुर अपास्त किया जाता है। अपील तहसीलदार श्रीमाधोपुर को इस आशय के साथ रिमाण्ड कि जाती है। कि न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश श्रीमाधोपुर के निर्णय दिनांक 17.03.2015 का गहनता से अवलोकन करे तथा भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा लगाये गये नोट का पुनः परीक्षण कर अपना निर्णय पुनः पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हों।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीम का थाना,

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनायी गयी।

(अनिल कुमार)
अति. जिला कलक्टर,
नीम का थाना,

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नीमकाथाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट नीमकाथाना (राजस्थान)

Scanned with OKEN Scanner